न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 03/24 दायर दिनांक: 01.03.2024

जीसीएमएस नं. 2024/29

1. ओमवती पुत्री स्व. हेतराम पत्नि विनोद बैरवा जाति बैरवा नि. नीमली तह. भुसावर जिला भरतपुर हाल नि. बदनपुरा खेडा पहाडपुर तह. सिकराय जिला दौसा राज.

2. ललिता पुत्र स्व. हेतराम पत्नि कैलाशचन्द जाति बैरवा नि. नीमली तह. भुसावर जिला भरतपुर हाल नि. जहान्नगर मोरडा तह. टोडाभीम जिला करौली राज.

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. ग्रा.पं. सुहारी पं.स. भुसावर जरिये सरपंच ग्रा.पं. सुहारी पं.स. भुसावर जिला भरतपुर

—असल रेस्पोडेण्ट्स

2. दौलतराम 3. योगसिंह 4. मानसिंह पुत्रान स्व. हेतराम 5. किस्तूरी 6. प्रेम 7. शारदा पुत्रीयान स्व. हेतराम 8. भौती पत्नि स्व. हेतराम जातियान बैरवा नि. नीमली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. 1956
विरूद्ध नामा. सं. 684 दिनांक 30.06.2016
ग्रा.पं. सुहारी पं.स. भुसावर

अधिवक्ता— 1.श्री दौलतराम बैरवा —अपीलाण्ट
2.श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय —रेस्पो. 01
3.श्री रमेशचन्द सोगरवाल —रेस्पो. 02 लगा. 08

<u>निर्णय दिनांक 30.08.2024</u>

यह अपील वकील अपीलाण्ट द्वारा विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 30.06.2016 ग्रा.पं. सुहारी मृतक हेतराम पुत्र ग्यारसा बैरवा नि. नीमली तह. भुसावर बाबत पेश की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक हेतराम द्वारा छोडी गई जिसका पुराना ख.नं. 242 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा व नये खसरा नंबरान 320 रकबा 0.01 एवं 321 रकबा 2.50 हैक्टे. वाके ग्राम नीमली तह. भुसावर का इंतकाल संख्या 684 तारीखी 30.06.2016 अशुद्ध नामों से चढाया गया है, जिसमें अपीलान्ट ओमवती का गलत नाम छोटी व अपीलान्ट ललिता का गलत नाम लाली सहवन से दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलान्ट का शुद्ध नाम ओमवती व ललिता है। जबकि मृतक हेतराम द्वारा छोडी गई अन्य आराजी इंतकाल संख्या 169 दिनांक 06.11.2023 ग्रा.पं. सुहारी में अपीलान्ट ओमवती व ललिता के सही नाम दर्ज किये गये है। अपीलान्ट के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में ओमवती व ललिता सही नाम दर्ज है।

नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 30.06.2016 में अपीलान्ट ओमवती व ललिता के नाम अशुद्ध दर्ज होने से राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज हो गये है, जिससे अपीलान्ट को परेशानी हो रही है, जिनको दाखिला खारिज में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त अशुद्ध नाम की जानकारी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.02.2024 को नामान्तरकरण संख्या 684 की प्रमाणित नकल पटवारी हल्का लेने पर हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

अपील अन्दर अवधि मे पेश है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमीटेशन एक्ट का श्रीमान जी के समक्ष अलग से पेश है।

अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 30.06.2016 में अपीलान्ट के अशुद्ध नाम को छोटी के स्थान पर ओमवती व लाली के स्थान पर ललिता किया जावे।

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पो. संख्या 01 की ओर से वकालतनामा श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय एड. व रेस्पो. संख्या 02 लगा. 08 की ओर से वकालतनामा श्री रमेश चन्द सोगरवाल एड. की ओर से मय इकबाल दावा पेश किया गया। रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपील पर कोई आपत्ति नहीं की तथा रेस्पो. संख्या 02 लगा. 08 द्वारा भी अपील इकबाल दावे में अपील स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया है। यानि सभी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपील पर सहमति जताई गई है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर हम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 30.06.2016 में अपीलान्टगण के अशुद्ध नाम छोटी के स्थान पर ओमवती व लाली के स्थान पर ललिता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड आ.ख.नं. 320, 321 वाके ग्राम नीमली तह. भुसावर में शुद्ध किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)